eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

मानवाधिकार और घरेलू हिंसा

[1]अर्चना

[2]डॉ. मनीषा रानी

[1]शोधार्थिनी (शिक्षाशास्त्र) महात्मा गाँधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, बिहार
[2]सहायक प्रोफेसर, शै0अ0वि0 महात्मा गाँधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, बिहार

Received: 15 September 2023 Accepted and Reviewed: 25 September 2023, Published : 01 October 2023

Abstract

मानवाधिकार वे मौलिक अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को उनकी अंतर्निहित गरिमा और मानवता के कारण से प्राप्त होते हैं। ये अधिकार नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को समाहित करते हैं, जिनका उद्देश्य सभी के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय की सुनिश्चित है। हालांकि, इन अधिकारों के संरक्षण की पूरी कोशिश में, घरेलू हिंसा की समस्या उभरती है, जहाँ घर की सीमाओं के अंदर वो अधिकार आमतौर पर उल्लंघन किए जाते हैं जिन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। घरेलू हिंसा मानवाधिकारों के गहरे उल्लंघन का दुखद उदाहरण है जो घरेलू संबंधों में होता है, जिसका प्रमुख शिकार आमतौर पर महिलाएँ, बच्चे और कमजोर व्यक्ति होते हैं। यह शारीरिक, भावनात्मक, यौन और मानसिक शोषण को समेत करता है, जिससे अत्यधिक पीड़ा होती है और अक्सर गंभीर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य परिणाम होते हैं। घरेलू हिंसा एक वातावरण बनाती है जो व्यक्तिगत विकास को रोकता है और खुशी की प्राप्ति की कोशिश को बाधित करता है। यह गहरे दृढ़ सामाजिक मुद्दे की स्थिति है जो पीढ़ियों के साथ हिंसा की चक्रवृद्धि दर को बढ़ावा देती है और समानता और गरिमा के सिद्धांतों को कमजोर करती है। मानवाधिकार और घरेलू हिंसा के बीच के गहरे संबंध की मान्यता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि घरेलू हिंसा वहाँ की जाती है जहाँ हिंसा के खिलाफ लड़ाई में आने वाले अधिकार आमतौर पर उल्लंघित होते हैं। मानवाधिकारों के संरक्षण का मतलब है घरेलू हिंसा के मूल कारणों का समाधान करना, पैत्रिक संवृत्तियों को नष्ट करना और स्वस्थ संबंधों और लैंगिक समानता के बारे में शिक्षा और जागरूकता को प्रोत्साहित करना। इसमें पीड़ितों को सुरक्षित आश्रय, परामर्श, चिकित्सा सहायता और आर्थिक सशक्तिकरण के अवसर प्रदान करना भी शामिल है। यह सामाजिक दृष्टिकोणों को भी चुनौती देता है जो ऐसी हिंसा को स्वीकार्य या सामान्य मानने में शामिल होते हैं और पुरुषों और लड़कों को हिंसाहीन व्यवहार को प्रोत्साहित करने के सहयोगी के रूप में शामिल करने की आवश्यकता है।

संक्षेप में, मानवाधिकारों की रक्षा करने और घरेलू हिंसा का संघर्ष करने का प्रयास साझा जिम्मेदारी है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे का समाधान करने के लिए समाज न्याय, समानता और प्रत्येक व्यक्ति की अंतर्निहित गरिमा के प्रति समर्पित हो सकता है। यह प्रयास सरकारों, नागरिक समाज, समुदायों और व्यक्तियों के संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है ताकि घर की पवित्रता की रक्षा की जा सके और मानवाधिकारों का समान आदर किया जा सके।

विषय बोधक शब्दः– मानवाधिकार, मौलिक आधार, मानवता, हिंसा एवं सामाजिकता।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

Introduction

"जेंडर आधारित हिंसा की कोई भी ऐसी कार्यवाही अथवा उसकी धमकी, जोर जबरदस्ती या मनमाने ढंग से आजादी का हनन, चाहें वह व्यक्तिगत जीवन में हो या सार्वजनिक जीवन में, जिसका परिणाम औरतों के लिए शारीरिक, यौनिक, मनोवैज्ञानिक हानि अथवा उत्पीड़न होता है या होने की संभावना है ।"

–संयुक्त राष्ट्र महासभा–1995

"अपने या अन्य व्यक्ति या समूह और समुदाय के खिलाफ सोच समझकर शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल या उसकी धमकी, जिसका परिणाम या संभावना , चोट, मृत्यु, मनोवैज्ञानिक हानि, विकास में रूकावट या वंचित होना हो।"

– विश्व स्वास्थ्य संगठन–2002

भारत में घरेलू हिंसा के विभिन्न रूप– भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के अनुसार, घरेलू हिंसा के पीड़ित के रूप में महिलाओं के किसी भी रूप तथा 18 वर्ष से कम आयु के बालक एवं बालिका को संरक्षित किया गया है। भारत में घरेलू हिंसा के विभिन्न रूप निम्नलिखित हैं–

महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा– किसी महिला को शारीरिक पीड़ा देना जैसे– मारपीट करना, धकेलना, ठोकर मारना, किसी वस्तु से मारना या किसी अन्य तरीके से महिला को शारीरिक पीड़ा देना, महिला को अश्लील साहित्य या अश्लील तस्वीरों को देखने के लिये विवश करना, बलात्कार करना, दुर्व्यवहार करना, अपमानित करना, महिला की पारिवारिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को आहत करना, किसी महिला या लड़की को अपमानित करना, उसके चरित्र पर दोषारोपण करना, उसकी शादी इच्छा के विरुद्ध करना, आत्महत्या की धमकी देना, मौखिक दुर्व्यवहार करना आदि। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड रिपोर्ट के अनुसार, लगभग दो–तिहाई विवाहित भारतीय महिलाएँ घरेलू हिंसा की शिकार हैं और भारत में 15–49 आयुवर्ग की 70: विवाहित महिलाएँ पिटाई, बलात्कार या जबरन यौन शोषण का शिकार हैं।

पुरुषों के विरुद्ध घरेलू हिंसा– इस तथ्य पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं है कि महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा एक गंभीर और बड़ी समस्या है, लेकिन भारत में पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा भी धीरे–धीरे बढ़ रही है। समाज में पुरुषों का वर्चस्व यह विश्वास दिलाता है कि वे घरेलू हिंसा के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। हाल ही में चंडीगढ़ और शिमला में सैकड़ों पुरूष इकट्ठा हुए, जिन्होंने अपनी पत्नियों और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा उनके खिलाफ की जाने वाली घरेलू हिंसा से बचाव और सुरक्षा की गुहार लगाई थी।

बच्चों के विरुद्ध घरेलू हिंसा– हमारे समाज में बच्चों और किशोरों को भी घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। वास्तव में हिंसा का यह रूप महिलाओं के खिलाफ हिंसा के बाद रिपोर्ट किये गए मामलों की संख्या में दूसरा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों तथा भारत में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के परिवारों में इसके स्वरूप में बहुत भिन्नता है। शहरी क्षेत्रों में यह अधिक निजी है और घरों की चारदीवारों के भीतर छिपा हुआ है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

बुजुर्गों के विरुद्ध घरेलू हिंसा– घरेलू हिंसा के इस स्वरूप से तात्पर्य उस हिंसा से है जो घर के बूढ़े लोगों के साथ अपने बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा की जाती है। घरेलू हिंसा की यह श्रेणी भारत में अत्यधिक संवेदनशील होती जा रही है। इसमें बुजुर्गों के साथ मारपीट करना, उनसे अत्यधिक घरेलू काम कराना, भोजन आदि न देना तथा उन्हें शेष पारिवारिक सदस्यों से अलग रखना शामिल है।

घरेलू हिंसा के कारण

- ❖ महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा का मुख्य कारण मूर्खतापूर्ण मानसिकता है कि महिलाएँ पुरुषों की तुलना में शारीरिक और भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं।
- ❖ प्राप्त दहेज से असंतुष्टि, साथी के साथ बहस करना, उसके साथ यौन संबंध बनाने से इनकार करना, बच्चों की उपेक्षा करना, साथी को बताए बिना घर से बाहर जाना, स्वादिष्ट खाना न बनाना शामिल है।
- ❖ विवाहेत्तर संबंधों में लिप्त होना, ससुराल वालों की देखभाल न करना, कुछ मामलों में महिलाओं में बाँझपन भी परिवार के सदस्यों द्वारा उन पर हमले का कारण बनता है।
- ❖ पुरुषों के प्रति घरेलू हिंसा के कारणों में पत्नियों के निर्देशों का पालन न करना, 'पुरुषों की अपर्याप्त कमाई, विवाहेत्तर संबंध, घरेलू गतिविधियों में पत्नी की मदद नहीं करना है' बच्चों की उचित देखभाल न करना, पति–पत्नी के परिवार को गाली देना, पुरुषों का बाँझपन आदि कारण हैं।
- ❖ बच्चों के साथ घरेलू हिंसा के कारणों में माता–पिता की सलाह और आदेशों की अवहेलना, पढ़ाई में खराब प्रदर्शन या पड़ोस के अन्य बच्चों के साथ बराबरी पर नहीं होना, माता–पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बहस करना आदि हो सकते हैं।
- ❖ ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के साथ घरेलू हिंसा के कारणों में बाल श्रम, शारीरिक शोषण या पारिवारिक परंपराओं का पालन न करने के लिये उत्पीड़न, उन्हें घर पर रहने के लिये मजबूर करना और उन्हें स्कूल जाने की अनुमति न देना आदि हो सकते हैं।
- ❖ गरीब परिवारों में पैसे पाने के लिये माता–पिता द्वारा मंदबुद्धि बच्चों के शरीर के अंगों को बेचने की खबरें मिली हैं। यह घटना बच्चों के खिलाफ क्रूरता और हिंसा की उच्चता को दर्शाता है।
- ❖ वृद्ध लोगों के खिलाफ घरेलू हिंसा के मुख्य कारणों में बूढ़े माता–पिता के खर्चों को झेलने में बच्चे झिझकते हैं। वे अपने माता–पिता को भावनात्मक रूप से पीड़ित करते हैं और उनसे छुटकारा पाने के लिये उनकी पिटाई करते हैं।
- ❖ विभिन्न अवसरों पर परिवार के सदस्यों की इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिये उन्हें पीटा जाता है। बहुत ही सामान्य कारणों में से एक संपत्ति हथियाने के लिये दी गई यातना भी शामिल है।

समाधान के उपाय

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

- शोधार्थिनी के अनुसार, यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि घरेलू हिंसा के सभी पीड़ित आक्रामक नहीं होते हैं। हम उन्हें एक बेहतर वातावरण उपलब्ध कराकर घरेलू हिंसा के मानसिक विकार से बाहर निकल सकते हैं।
- भारत अभी तक हमलावरों की मानसिकता का अध्ययन करने, समझने और उसमें बदलाव लाने का प्रयास करने के मामले में पिछड़ रहा है। हम अभी तक विशेषज्ञों द्वारा प्रचारित इस दृष्टिकोण की मोटे तौर पर अनदेखी कर रहे हैं कि "महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाली हिंसा और भेदभाव को सही मायनों में समाप्त करने के लिये हमें पुरुषों को न केवल समस्या का एक कारण बल्कि उन्हें इस मसले के समाधान के अविभाज्य अंग के तौर पर देखना होगा।"
- सुधार लाने के लिये सबसे पहले कदम के तौर पर यह आवश्यक होगा कि "पुरुषों को महिलाओं के खिलाफ रखने" के स्थान पर पुरुषों को इस समाधान का भाग बनाया जाए। मर्दानगी की भावना को स्वस्थ मायनों में बढ़ावा देने और पुराने घिसे–पिटे ढर्रे से छुटकारा पाना अनिवार्य होगा।
- सरकार ने महिलाओं और बच्चों को घरेलू हिंसा से संरक्षण देने के लिये घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 को संसद से पारित कराया है। इस कानून में निहित सभी प्रावधानों का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिये यह समझना जरूरी है कि पीड़ित कौन है। यदि आप एक महिला हैं और रिश्तेदारों में कोई व्यक्ति आपके प्रति दुर्व्यवहार करता है तो आप इस अधिनियम के तहत पीड़ित हैं।
- मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 2017 द्वारा भारत मानसिक स्वास्थ्य के प्रति गंभीर हो गया है, लेकिन इसे और अधिक प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता है। नीति निर्माताओं को घरेलू हिंसा से उबरने वाले परिवारों को पेशेवर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिये तंत्र विकसित करने की जरूरत है।
- सरकार ने वन–स्टॉप सेंटर जैसी योजनाएँ प्रारंभ की हैं, जिनका उद्देश्य हिंसा की शिकार महिलाओं की सहायता के लिये चिकित्सकीय, कानूनी और मनोवैज्ञानिक सेवाओं की एकीकृत रेंज तक उनकी पहुँच को सुगम व सुनिश्चित करता है।
- महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिये वोग इंडिया ने 'लड़के रुलाते नहीं' अभियान चलाया, जबकि वैश्विक मानवाधिकार संगठन 'ब्रेकथ्रू' द्वारा घरेलू हिंसा के खिलाफ 'बेल बजाओ' अभियान चलाया गया। ये दोनों ही अभियान महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा से निपटने के लिये निजी स्तर पर किये गए शानदार प्रयास थे।

हिंसा के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया–

अधिनियम–2005 के अन्तर्गत घरेलू हिंसा की शिकार हो रही महिला या संरक्षण अधिकारी या जो व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधियों को देख रहा है, तुरन्त मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकता है। आवेदन पत्र मिलने के बाद मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई की तारीख घोषित की जायेगी

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

जो आवेदन मिलने के तीन दिन के भीतर हो सकती है तथा प्रार्थना पत्र का फैसला मजिस्ट्रेट द्वारा 60 दिन के अन्दर कर दिया जायेगा और मजिस्ट्रेट सुनवाई की तारीख संरक्षण अधिकारी को देगा। इसके बाद संरक्षण अधिकारी प्रतिवादियों को सुनवाई की तारीख की सूचना दो दिन के अन्दर देता है तो इन मामलों की सुनवाई इन कैमरा या बन्द न्यायालय में भी की जा सकती है।

व्यथित व्यक्ति के अधिकार– इस अधिनियम को लागू करने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों पर है, उनके इस कानून के तहत कुछ कर्तव्य हैं जैसे– जब किसी पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट को घरेलू हिंसा की घटना के बारे में पता चलता है, तो उन्हें पीड़ित को निम्न अधिकारों के बारे में सूचित करना है– पीड़ित इस कानून के तहत किसी भी राहत के लिए आवेदन कर सकती है जैसे कि – संरक्षण आदेश, आर्थिक राहत, बच्चों के अस्थायी संरक्षण का आदेश, निवास आदेश या मुआवजे का आदेश।

- ❖ पीड़ित आधिकारिक सेवा प्रदाताओं की सहायता ले सकती है।
- ❖ पीड़ित संरक्षण अधिकारी से सम्पर्क कर सकती है।
- ❖ पीड़ित निःशुल्क विधिक सहायता की माँग कर सकती है।
- ❖ पीड़ित भारतीय दण्ड संहिता के तहत आपराधिक याचिका भी दाखिल कर सकती है, इसके तहत प्रतिवादी को तीन वर्ष तक का कारावास हो सकता है, इसके तहत पीड़ित को गम्भीर शोषण सिद्ध करने की आवश्यकता है।

घरेलू हिंसा के मामले में कौन शिकायत दर्ज करा सकता है ?

सुरक्षा अधिकारी के अलावा पीड़ित 'सेवा प्रदाता' से भी सम्पर्क कर सकती है, सेवा प्रदाता से पीड़ित खुद शिकायत कर सकती है। अगर आप पीड़ित नहीं हैं तो भी आप संरक्षण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे किसी कारण से लगता है कि घरेलू हिंसा की कोई घटना घटित हुई है या हो रही है या जिसे ऐसा अन्देशा भी है कि ऐसी घटना घटित हो सकती है, वह संरक्षण अधिकारी को सूचित कर सकता है। यदि आपने सद्भावना में यह काम किया है तो जानकारी की पुष्टि न होने पर भी आपके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाएगी स शिकायत दर्ज कर, 'घरेलू हिंसा घटना रिपोर्ट' बनाकर मजिस्ट्रेट और संरक्षण अधिकारी को सूचित करता है।

अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत दिये जाने वाले आदेश–

संरक्षण से सम्बन्धित आदेश–

अगर मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि किसी जगह पर घरेलू हिंसा की घटना घटित हुई है तो वह प्रतिवादी पर निम्नलिखित प्रतिबन्ध लगा सकता है। –

- उस स्थान में प्रवेश करने से जिसमें व्यथित महिला निवास कर रही हो और अगर व्यथित कोई बच्चा है तो उसके स्कूलों में प्रवेश करने से।
- व्यथित व्यक्ति से किसी भी प्रकार का सम्पर्क स्थापित करने जैसे बातचीत, पत्र या टेलीफोन आदि।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

- प्रतिवादी को अपनी सम्पत्ति या संयुक्त सम्पत्ति को बेचने से और बैंक लॉकर, खाते आदि जो संयुक्त या निजी हो उसमें प्रयोग से भी रोका जा सकता है।
- महिला पर आश्रित, उसके संबंधियों व पीड़ित महिला की सहायता करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध किसी भी प्रकार की हिंसा करने से भी रोका जा सकता है।

प्रमुख कानूनी प्रावधान

धारा 4

घरेलू हिंसा किया जा चुका हो या किया जाने वाला है या किया जा रहा है, की सूचना कोई भी व्यक्ति संरक्षण अधिकारी को दे सकता है जिसके लिए सूचना देने वाले पर किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं तय की जाएगी। पीड़ित के रूप में आप इस कानून के तहत "संरक्षण अधिकारी" या श्सेवा प्रदाताश से संपर्क कर सकती हैं। पीड़ित के लिए एक 'संरक्षण अधिकारी' संपर्क का पहला बिंदु है। संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही शुरू करने और एक सुरक्षित आश्रय या चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने में मदद कर सकते हैं। प्रत्येक राज्य सरकार अपने राज्य में 'संरक्षण अधिकारी' नियुक्त करती हैस 'सेवा प्रदाता' एक ऐसा संगठन है जो महिलाओं की सहायता करने के लिए काम करता है और इस कानून के तहत पंजीकृत है स पीड़ित सेवा प्रदाता से, उसकी शिकायत दर्ज कराने अथवा चिकित्सा सहायता प्राप्त कराने अथवा रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्राप्त कराने हेतु संपर्क कर सकती हैस भारत में सभी पंजीकृत सुरक्षा अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं का एक डेटाबेस यहाँ उपलब्ध है। सीधे पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट से भी संपर्क किया जा सकता हैस आप मजिस्ट्रेट – फर्स्ट क्लास या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट से भी संपर्क कर सकती हैं, किंतु किस क्षेत्र के मजिस्ट्रेट से सम्पर्क करना है यह आपके और प्रतिवादी के निवास स्थान पर निर्भर करता है स 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में अमूमन मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट से संपर्क करने की आवश्यकता हो सकती है।

धारा 5

यदि घरेलू हिंसा की कोई सूचना किसी पुलिस अधिकारी या संरक्षण अधिकारी या मजिस्ट्रेट को दी गयी है तो उनके द्वारा पीड़िता को जानकारी देनी होगी कि–

- उसे संरक्षण आदेश पाने का,
- सेवा प्रदाता की सेवा उपलब्धता,
- संरक्षण अधिकारी की सेवा की उपलब्धता,
- मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त करने का,
- परिवाद–पत्र दाखिल करने का अधिकार प्राप्त है। पर संज्ञेय अपराध के लिए पुलिस को कार्रवाई करने से यह प्रावधान नहीं रोकता है।

धारा 10

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

सेवा प्रदाता, जो नियमतः निबंधित हो, वह भी मजिस्ट्रेट या संरक्षा अधिकारी को घरेलू हिंसा की सूचना दे सकता है।

धारा 12

पीड़िता या संरक्षण अधिकारी या अन्य कोई घरेलू हिंसा के बारे में या मुआवजा या नुकसान के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन दे सकता है। इसकी सुनवाई तिथि तीन दिनों के अन्दर की निर्धारित होगी एवं निष्पादन 60 दिनों के अन्दर होगा।

धारा 14

मजिस्ट्रेट पीड़िता को सेवा प्रदाता से परामर्श लेने का निर्देश दे सकेगा।

धारा 16

पक्षकार ऐसी इच्छा करें तो कार्यवाही बंद कमरे में हो सकेगी।

धारा 17 तथा 18

पीड़िता को साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार होगा और कानूनी प्रक्रिया के अतिरिक्त उसका निष्कासन नहीं किया जा सकेगा। उसके पक्ष में संरक्षण आदेश पारित किया जा सकेगा।

धारा 19

पीड़िता को और उसकी संतान को संरक्षण प्रदान करते हुए संरक्षण देने का स्थानीय थाना को निर्देश देने के साथ निवास आदेश एवं किसी तरह के भुगतान के संबंध में भी आदेश पारित किया जा सकेगा और सम्पत्ति का कब्जा वापस करने का भी आदेश दिया जा सकेगा।

धारा 20 तथा 22

वित्तीय असंतोष – पीड़िता या उसकी संतान को घरेलू हिंसा के बाद किये गये खर्च एवं हानि की पूर्ति के लिए मजिस्ट्रेट निर्देश दे सकेगा तथा भरण–पोषण का भी आदेश दे सकेगा एवं प्रतिकर आदेश भी दिया जा सकता है।

धारा 21

अभिरक्षा आदेश संतान के संबंध में दे सकेगा या संतान से भेंट करने का भी आदेश मजिस्ट्रेट दे सकेगा।

धारा 24

पक्षकारों को आदेश की प्रति निःशुल्क न्यायालय द्वारा दिया जाएगा।

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2006

नियम 9

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

आपातकालीन मामलों में पुलिस की सेवा की मांग संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता द्वारा की जा सकती है।

नियम 13

परामर्शदाताओं की नियुक्ति संरक्षण अधिकारी द्वारा उपलब्ध सूची में से की जायेगी।

घरेलू हिंसा के प्रभाव

- ❖ यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में घरेलू हिंसा का सामना किया है तो उसके लिये इस डर से बाहर आ पाना अत्यधिक कठिन होता है। अनवरत रूप से घरेलू हिंसा का शिकार होने के बाद व्यक्ति की सोच में नकारात्मकता हावी हो जाती है। उस व्यक्ति को स्थिर जीवनशैली की मुख्य धारा में लौटने में कई वर्ष लग जाते हैं।
- ❖ घरेलू हिंसा का सबसे बुरा पहलू यह है कि इससे पीड़ित व्यक्ति मानसिक आघात से वापस नहीं आ पाता है। ऐसे मामलों में अक्सर देखा गया है कि लोग या तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं या फिर अवसाद का शिकार हो जाते हैं।
- ❖ घरेलू हिंसा की यह सबसे खतरनाक और दुखद स्थिति है कि जिन लोगों पर हम इतना भरोसा करते हैं और जिनके साथ रहते हैं जब वही हमें इस तरह का दुख देते हैं तो व्यक्ति का रिश्तों पर से विश्वास उठ जाता है और वह स्वयं को अकेला कर लेता है। कई बार इस स्थिति में लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं।
- ❖ घरेलू हिंसा का सबसे व्यापक प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। सीटी स्कैन से पता चलता है कि जिन बच्चों ने घरेलू हिंसा में अपना जीवन बिताया है उनके मस्तिष्क का कॉर्पस कॉलोसम और हिप्पोकैम्पस नामक भाग सिकुड़ जाता है, जिससे उनकी सीखने, संज्ञानात्मक क्षमता और भावनात्मक विनियमन की शक्ति प्रभावित हो जाती है।
- ❖ बालक अपने पिता से गुस्सैल व आक्रामक व्यवहार सीखते हैं। इसका असर ऐसे बच्चों का अन्य कमजोर बच्चों व जानवरों के साथ हिंसा करते हुए देखा जा सकता है।
- ❖ बालिकाएँ नकारात्मक व्यवहार सीखती हैं और वे प्रायः दब्बू, चुप–चुप रहने वाली या परिस्थितियों से दूर भागने वाली बन जाती हैं।
- ❖ प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि हिंसा की शिकार हुई महिलाएँ सामाजिक जीवन की विभिन्न गतिविधियों में कम भाग लेती हैं।

निष्कर्षः – मानवाधिकार और घरेलू हिंसा दो महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर किसी भी समाज में ध्यान देने की आवश्यकता है। मानवाधिकार उन मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं को संदर्भित करता है जिनका प्रत्येक व्यक्ति अपनी पृष्ठभूमि, पहचान या परिस्थितियों की परवाह किए बिना हकदार है। इन अधिकारों में जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता, समानता और भेदभाव से मुक्ति सहित अन्य अधिकार शामिल हैं। मानवाधिकार यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए। दूसरी ओर, घरेलू हिंसा, उस दुर्व्यवहार या हिंसा को संदर्भित करती है जो अंतरंग संबंधों में होती है, आमतौर पर घर के भीतर। यह शारीरिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

और यौन शोषण सहित विभिन्न रूप ले सकता है। घरेलू हिंसा मानवाधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि यह किसी व्यक्ति के हिंसा और दुर्व्यवहार से मुक्त रहने के अधिकार का उल्लंघन करती है। मानव अधिकारों के ढांचे के भीतर घरेलू हिंसा को संबोधित करना महत्वपूर्ण है। व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में उनके घरों और रिश्तों में जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया जाना चाहिए। घरेलू हिंसा के पीड़ितों के लिए सहायता प्रणालियाँ, जैसे कि हेल्पलाइन, आश्रय और परामर्श सेवाएँ उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे उन्हें अपमानजनक स्थितियों से बचने और अपने जीवन का पुनर्निर्माण करने में मदद मिल सके।

समाजों को घरेलू हिंसा को खत्म करने और सभी व्यक्तियों के लिए मानवाधिकारों को कायम रखने की दिशा में काम करना चाहिए, चाहे उनका लिंग, उम्र या कोई अन्य कारक कुछ भी हो। इसमें न केवल कानूनी उपाय शामिल हैं बल्कि हिंसा और भेदभाव को कायम रखने वाले सांस्कृतिक दृष्टिकोण और व्यवहार में बदलाव भी शामिल है।

सन्दर्भ सूचीः

1. अंजली. (2005). भारत में महिला अपराध. राधा पब्लिकेशन.
2. आहूजा, र. (1999). सामाजिक समस्याएँ. रावत पब्लिकेशन.
3. चौधरी, न. (2019). नारी देह के विरुद्ध हिंसा. सेज पब्लिकेशन.
4. भट्टाचार्य, र. (2017). भारत में घरेलू हिंसा. सेज पब्लिकेशन.
5. मियर्सफील्ड, व. (2010). डोमेस्टिक वायलेंस एंड इंटरनेशनल लॉ. ब्लूम्सबरी पब्लिकेशन .
6. मेहरोत्रा, म. (2011). महिला अधिकार और मानव अधिकार. प्रभात प्रकाशन .
7. विहान, र. (2015). महिला मानवाधिकार. नवजीवन पब्लिकेशन.
8. ई.मेल. archuarchana229@gmail.com